न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 67/2019
(C.I.S. No. 113/2019)
(CNR No. RJRS010013762019)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

केसरसिंह पुत्र श्री कुपसिंह रावत, निवासी पालुणा, पुलिस थाना जवाजा, जिला ब्यावर (राज.)

.... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 376, 302 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित :–

1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री डूंगरसिंह बंजारा, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 28.03.2026

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 379/2019 में बाद अनुसंधान दिनांक 16.09.2019 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम में अभियुक्त केसरसिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302, 376, 384 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ। चूंकि प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, लिहाजा इस न्यायालय को उपार्पित (Commit) किया गया, जिसे दिनाँक 25.09.2019 को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी कालुसिंह ने थानाधिकारी, पुलिस थाना भीम के समक्ष लिखित रिपोर्ट इस

आशय की दर्ज करवायी कि उसकी बहिन अभियोक्त्री व जीजाजी हेमसिंह गुजरात में कुंए खोदने का काम कर अपना जीवनयापन करते हैं। इसी काम में भगवानसिंह 06 माह पूर्व उसकी बहिन व जीजाजी को अपने साथ गुजरात लेकर गया और वहां पर उसके जीजाजी को कुंए में उतारकर 02 माह तक भगवानसिंह ने उसकी बहिन का यौन शोषण किया। इसके बाद भगवानसिंह ने अपने बहनोई अभियुक्त केसरसिंह के पास उसकी बहिन को छोड़ दिया, जिसने उसकी बहिन के साथ करीब 04 माह तक यौन शोषण किया। उसके छोटे भाई मुकेश की शादी में भी उसकी बहिन को उन्होंने घर पर बुलाया। दिनांक 22.06.2019 को दोपहर करीब 11:00 बजे उसकी बहिन को फोन करके ब्लेकमेल कर कुंए पर बुलाया और जहर पिला दिया। इसके बाद केसरसिंह ने इसके पिता को फोन किया कि अभियोक्त्री कुंए के पास पड़ी है, उसको देख लेना, इस पर उसके पिता वहां गये तो उसकी बहिन अभियोक्त्री वहां बेहोश पड़ी हो उसके मुंह से झाग आ रहे थे, तब उसके पिता अभियोक्त्री को जवाजा अस्पताल ले गये। वहां से ब्यावर व उसके बाद अजमेर लेकर गये, जहां अभियोक्त्री की इलाज के दौरान दिनांक 09.07.2019 को जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में मौत हो गई..........इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भीम द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019 अंतर्गत धारा 302, 376, 384, 120बी भा.द.सं. में मामला पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्त केसरसिंह के विरुद्ध धारा 302, 376, 384 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा बाद प्रसंज्ञान इस प्रकरण को उपार्पित कर मामला इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त केसरसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 376, 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 कालुसिंह, पी.डब्ल्यू. 2 लाडीदेवी, पी.डब्ल्यू. 3 फतेहसिंह, पी.डब्ल्यू. 4 रेशमा, पी.डब्ल्यू. 5 छोटू मोहम्मद, पी.डब्ल्यू. 6 हमीम मोहम्मद, पी.डब्ल्यू. 7 सोमेशसिंह, पी.डब्ल्यू. 8 हेमसिंह, पी.डब्ल्यू. 9 विकास कुमार, पी.डब्ल्यू. 10 किशनलाल, पी.डब्ल्यू. 11 पूरणसिंह, पी.डब्ल्यू. 12 डूंगरसिंह, पी.डब्ल्यू. 13 डॉ0 ललित कुमार, पी.डब्ल्यू. 14 डॉ0 हेमलता, पी.डब्ल्यू. 15 माधुसिंह, पी.डब्ल्यू. 16 डॉ0 आर.के. बोयल, पी.डब्ल्यू. 17 डॉ0 राजेश जैन, पी.डब्ल्यू. 18 डॉ0 हंसा चौधरी, पी.डब्ल्यू.–19 डॉ0 अजय शर्मा, पी.डब्ल्यू. 20 लाभुराम व पी.डब्ल्यू. 21 प्रभात कुमार को परीक्षित करवाया गया।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया :–

क.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1	प्रदर्श पी. 1	परिवादी कालुसिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2	फर्द नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी. 3	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका
4	प्रदर्श पी. 4	फर्द सुपुर्दगी लाश
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द जब्ती अण्डरवियर अभियुक्त केसरसिंह
6	प्रदर्श पी. 6	फर्द जब्ती मोबाईल अभियुक्त केसरसिंह
7	प्रदर्श पी. 7	फर्द जब्ती वाहन मोटरसाईकिल अभियुक्त केसरसिंह
8	प्रदर्श पी. 8	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त केसरसिंह
9	प्रदर्श पी. 9	पुलिस बयान गवाह कालुसिंह
10	प्रदर्श पी. 10	लाडीदेवी के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान
11	प्रदर्श पी. 11	पुलिस बयान लाडीदेवी
12	प्रदर्श पी. 12	फतहसिंह के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान
13	प्रदर्श पी. 13	फर्द तस्दीक घटनास्थल
14	प्रदर्श पी. 14	फर्द तस्दीक शराब का ठेका
15	प्रदर्श पी. 15	गवाह फतहसिंह के पुलिस बयान

16	प्रदर्श पी. 16	फर्द जब्ती बीयर की बोतल
17	प्रदर्श पी. 17	फर्द जब्ती जहर की बोतल
18	प्रदर्श पी. 18	फर्द जब्ती कपड़े मृतका
19	प्रदर्श पी. 19	गवाह छोटू मोहम्मद के पुलिस बयान
20	प्रदर्श पी. 20	गवाह हकीम मोहम्मद के पुलिस बयान
21	प्रदर्श पी. 21	गवाह सोमेशसिंह के पुलिस बयान
22	प्रदर्श पी. 22	गवाह हेमसिंह के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान
23	प्रदर्श पी. 22	पुलिस थाना, भीम का एफ.एस.एल. पत्र दिनांकित 19.08.2019
24	प्रदर्श पी. 23	कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द का एफ.एस.एल. अग्रेषण पत्र दिनांकित 19.08.2019
25	प्रदर्श पी. 24	एम.ओ. द्वारा पीड़िता का विसरा प्राप्त करने की रसीद
26	प्रदर्श पी. 25	पुलिस थाना, भीम का एफ.एस.एल. पत्र दिनांकित 22.08.2019
27	प्रदर्श पी. 26	कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द का एफ.एस.एल. अग्रेषण पत्र दिनांकित 22.08.2019
28	प्रदर्श पी. 27	एफ.एस.एल. आर्टिकल जमा कराने की प्राप्ति रसीद
29	प्रदर्श पी. 28	मृतका अभियोक्त्री का जन्म संबंधी दस्तावेज बाबत तहरीर
30	प्रदर्श पी. 29	मृतका का जन्मतिथि प्रमाण पत्र
31	प्रदर्श पी. 30	विद्यार्थी प्रवेश आवेदनपत्र
32	प्रदर्श पी. 31ए	छात्र प्रवेश रजिस्टर की प्रति
33	प्रदर्श पी. 32ए	विद्यार्थी प्रवेश आवेदनपत्र
34	प्रदर्श पी. 33ए	छात्र प्रवेश रजिस्टर की प्रति
35	प्रदर्श पी. 34	अभियुक्त का पुरूषत्व मेडिकल बाबत एम.ओ. को लिखी गई तहरीर
36	प्रदर्श पी 35	अभियुक्त केशरसिंह की पुरूषत्व जांच रिपोर्ट
37	प्रदर्श पी 36	अभियुक्त केशरसिंह की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट
38	प्रदर्श पी 37ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
39	प्रदर्श 37	अभियुक्त केशरसिंह का एफटीए कार्ड पर ब्लड सेम्पल लिवाने बाबत एम.ओ. तहरीर
40	प्रदर्श पी 38	मृतका अभियोक्त्री की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

41	प्रदर्श पी 39	मृतका का पोस्टमॉर्टम करने हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा द्वारा जारी कार्यालय आदेश
42	प्रदर्श पी 40	मृतका के इलाज संबंधी प्रमाणित दस्तावेज दिलाने के संबंध में एम.ओ. तहरीर
43	प्रदर्श पी 41	मृतका का अन्तर्वासी रोगी शय्या टिकिट
44	प्रदर्श पी 42	रोजनामचा रपट
45	प्रदर्श पी 43	चॉक एफ.आई.आर.
46	प्रदर्श पी 44	अभियुक्त द्वारा मृतका को जहर पिलाने वाले स्थान की तस्दीक कराने के संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई सूचना
47	प्रदर्श पी 45	अभियुक्त द्वारा शराब का ठेका तस्दीक कराने के संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई सूचना
48	प्रदर्श पी 46	मृतका का बेड हेड टिकिट की फोटो प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र
49	प्रदर्श पी 47	मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने बाबत जेएलएन अस्पताल को लिखी गई तहरीर
50	प्रदर्श पी 48	पुलिस थाना, भीम का एफ.एस.एल. पत्र
51	प्रदर्श पी 49	पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द का एफ.एस.एल. अग्रेषण पत्र
52	प्रदर्श पी 50	एफ.एस.एल. आर्टिकल जमा कराने की प्राप्ति रसीद
53	प्रदर्श पी 51	रोजनामचा रपट
54	प्रदर्श पी 52	मालखाना रजिस्टर की प्रति
55	प्रदर्श पी 53	गवाहान के धारा 164 सीआर.पी.सी. के कथन लेखबद्ध कराने के संबंध में तहरीर
56	प्रदर्श पी 54	एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांकित 16.09.2019
57	प्रदर्श पी 55	मृतका की पेथोलोजी रिपोर्ट
58	प्रदर्श पी 56	एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांकित 06.02.2023
59	प्रदर्श पी 57	एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांकित 29.09.2022
60	प्रदर्श पी 58	एयरटेल द्वारा जारी 65बी का सर्टिफिकेट
61	प्रदर्श पी 59	मोबाईल नम्बर 7357117780 का कैफ फॉर्म
62	प्रदर्श पी 60	मोबाईल नम्बर 9950519283 का कैफ फॉर्म
63	प्रदर्श पी 61	कॉल डिटेल

7. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत व स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए कथन किया कि उसका खून का कोई नमूना सेम्पल नहीं लिया गया, न ही उसकी शारीरिक जांच की गई। उसके किसी प्रकार के कोई कपड़े जब्त नहीं किये गये। साथ ही यह भी कथन किया कि वह मृतका अभियोक्त्री को नहीं जानता है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

8. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :—

{1} क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.06.2019 से पूर्व किसी समय भागनिया गांव, जिला राजकोट (गुजरात) में व अन्य स्थानों पर परिवादी कालुसिंह की बहिन पीड़िता अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना बलात्संग किया?

{2} क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.06.2019 को दोपहर करीब 11:00 बजे गांव सारोठ, पुलिस थाना भीम में परिवादी के घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर कालुसिंह की बहिन अभियोक्त्री की हत्या करने के आशय से उसे बीयर में जहर मिलाकर पिलाया, जिसके परिणामस्वरूप दौराने इलाज दिनांक 09.07.2019 को उसकी मृत्यु हो गई ?

{3} यदि, हॉ तो अभियुक्त के लिए उपयुक्त दंड क्या हो ?

9. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.ड. 01 कालुसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब 02 साल पहले वह जोधपुर में क्रेन चलाने का कार्य करता था। उसके पास करीब 11:00 बजे उसके पिताजी का फोन आया कि उसकी बहन अभियोक्त्री कुंए पर गई थी जो घर पर नहीं आई है। उसकी मम्मी ने कुएं पर जाकर देखा तो उसकी बहन अभियोक्त्री कुंए के पास बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे जवाजा अस्पताल लेकर गये, फिर वहां से ब्यावर और उसके बाद जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर

में भर्ती करवाया गया, जहां पर अभियोक्त्री करीब 18 दिन तक बेहोशी की हालत में भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। गवाह के कथनानुसार उसके मम्मी–पापा ने उसे बताया कि केसरसिंह के साथ उसके जीजाजी और उसकी बहन कुंआ खोदने का काम करते थे। उसने पुलिस थाना भीम में एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की थी। पुलिस वाले घटनास्थल पर आये तथा नक्शा–मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया। पुलिस ने उसकी बहन अभियोक्त्री का पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03 मुर्तिब किया। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 है। अभियुक्त केसरसिंह की अण्डरवियर जरिये फर्द प्रदर्श पी 05 जब्त की थी। पुलिस ने अभियुक्त केसरसिंह का मोबाईल फोन वजह सबूत जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 मुर्तिब की। पुलिस द्वारा अभियुक्त केसरसिंह की मोटरसाइकिल भी जरिये फर्द प्रदर्श पी 07 वजह सबूत जब्त की थी और पुलिस ने अभियुक्त केसरसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 08 गिरफ्तार किया था। उक्त सभी प्रदर्शों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 09 में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया व इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि उसके व अभियुक्त केसरसिंह के मध्य राजीनामा हो जाने से वह अभियुक्त को बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 02 लाडी देवी ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री की शादी बयान से करीब 04 साल पहले हेमसिंह निवासी राजवा के साथ करवाई थी। उसके बाद अभियोक्त्री अपने ससुराल आती–जाती रहती थी। करीब साल भर पहले उसकी पुत्री अभियोक्त्री को भगवानसिंह मजदूरी करवाने के लिए लेकर गया था। उसकी अभियोक्त्री से फोन पर बातचीत होती रहती थी। उसके लड़के मुकेश की शादी में उसके पति अभियोक्त्री को गुजरात से वापस गांव लेकर आये थे। गवाह का आगे यह भी कथन रहा है कि बयान से करीब 02 साल पहले वह अपने खेत से दिन के करीब 12 बजे घर आई तो उसके पति ने कहा कि अभियोक्त्री काफी समय से कुंए पर गई थी जो वापस नहीं आई, जिस पर उनके घर से कुछ

ही दूरी पर स्थित कुंए पर गई तो पीपल के पेड़ के नीचे अभियोक्त्री बेहोश पड़ी थी। फिर वह व उसके पति, छोटू खां और हकीम अभियोक्त्री को जवाजा अस्पताल लेकर गये जहां से ब्यावर और उसके बाद अजमेर जे.एल. एन. अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अभियोक्त्री करीब 20 दिन तक भर्ती रही। अस्पताल में अभियोक्त्री ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह बेहोश पड़ी थी। पुलिस वालों ने उसकी पुत्री अभियोक्त्री की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 03 बनाया था, उसके देवगढ़ न्यायालय में बयान प्रदर्श पी 10 हुए थे, जिन पर एक्स स्थान पर उसकी अगूंठा निशानी है। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया व इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि उसके व अभियुक्त केसरसिंह के मध्य राजीनामा हो जाने से वह अभियुक्त को बचाने के लिये झूठे बयान दे रही हो।

गवाह पी.ड. 03 फतेहसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी बेटी अभियोक्त्री की शादी हेमसिंह के साथ हुई थी। उसकी बेटी अभियोक्त्री व उसका पति भगवानसिंह के साथ मजदूरी करने के लिए राजकोट गुजरात गये थे। फिर उसके बेटे मुकेश की शादी होने के कारण वह अभियोक्त्री को अपने गांव लाया था। दिनांक 22.05.2019 को सुबह 11 बजे वह कुंए पर गई तो अभियोक्त्री के मुंह से झाग आ रहे थे और वह बेहोश पड़ी थी। अभियोक्त्री को अस्पताल लेकर गये, जहां वह 18 दिन तक भर्ती रहने पर भी उसे होश नहीं आया। उसके धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी. 12 है। पुलिस वालों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा—मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया और फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी. 13 व फर्द तस्दीक शराब का ठेका प्रदर्श पी. 14 मुर्तिब किया। उक्त सभी प्रदर्शों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 15 में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया व इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि उसके व मुलजिम के मध्य राजीनामा हो गया है।

गवाह पी.ड. 04 रेशमा ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब दो साल पहले उसके पुत्र सोमेश के पास अभियोक्त्री के भाई कालुसिंह का फोन आया, जिसने बताया कि उसके कुंए पर अभियोक्त्री ने कोई दवाई पी ली, जिससे वह कुएं पर पहुंची तो अभियोक्त्री को हकीम व छोटे खॉ मोटरसाइकिल पर बिठा कर अस्पताल ले जाने के लिये रवाना हो रहे थे। फिर वह अपने लड़के सोमेश के साथ ब्यावर अस्पताल पहुंची, वहां से वे अजमेर अस्पताल गये, उसके दूसरे दिन वह अपने घर आ गई थी। उसके 15–16 दिन बाद अभियोक्त्रीा के मरने की खबर उसे मिली। वह अजमेर अस्पताल गई थी। अस्पताल में अभियोक्त्री की लाश का पुलिस ने पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 मुर्तिब किया था, जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.ड. 05 छोटू मोहम्मद ने सशपथ बयानों में कथन किये कि करीब दो साल पहले 11:00 बजे उसके पड़ोसी फतेह सिंह का लड़का मुकेश सिंह उनके घर पर बुलाने आया और कहा कि उनकी दीदी अभियोक्त्री को कुछ हो गया है, आप मोटरसाइकिल लेकर आओ, उसे अस्पताल लेकर जाना है, तब वे मोटरसाइकिल लेकर फतेह सिंह के कुएं पर गये, वहां पर फतेह सिंह व उसकी पत्नी लाड़ी देवी मिले, जहां उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे अभियोक्त्री तड़प रही थी और उसके मुंह से झाग आ रहे थे, फिर अभियोक्त्री को मोटरसाइकिल पर जवाजा अस्पताल लेकर गये। उनके साथ अभियोक्त्री के परिवार वाले व उसके माता–पिता भी जवाजा आये थे, जवाजा से अभियोक्त्री को ब्यावर अस्पताल में रेफर कर दिया था, फिर ब्यावर अस्पताल से अभियोक्त्री को अजमेर रेफर कर दिया था। पुलिस वालों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने फर्द जब्ती बियर की बोतल (क्रेन) प्रदर्श पी. 16, फर्द जब्ती जहर की बोतल प्रदर्श पी. 17 व फर्द जब्ती मृतका के कपड़े प्रदर्श पी. 18 पर भी अपने हस्ताक्षर होना कथन किया। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 19 में

वर्णित तथ्यों से इन्कार किया व इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि वह मुलजिम को बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 06 हकीम मोहम्मद ने सशपथ बयानों में कथन किये कि करीब दो साल पहले 11:00 बजे उसके पड़ोसी फतेह सिंह का लड़का मुकेश सिंह उनके घर पर बुलाने आया और कहा कि उनकी दीदी अभियोक्त्री को कुछ हो गया है, आप मोटरसाइकिल लेकर आओ, उसे अस्पताल लेकर जाना है, तब वे मोटरसाइकिल लेकर फतेह सिंह के कुएं पर गये, वहां पर फतेह सिंह व उसकी पत्नी लाड़ी देवी मिले, जहां उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे अभियोक्त्री तड़प रही थी और उसके मुंह से झाग आ रहे थे, फिर अभियोक्त्री को मोटरसाइकिल पर जवाजा अस्पताल लेकर गये। उनके साथ अभियोक्त्री के परिवार वाले व उसके माता–पिता भी जवाजा आये थे, जवाजा से अभियोक्त्री को ब्यावर अस्पताल में रेफर कर दिया था, फिर ब्यावर अस्पताल से अभियोक्त्री को अजमेर रेफर कर दिया था। पुलिस वालों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया। फर्द जब्ती बियर की बोतल (क्रेन) प्रदर्श पी. 16, फर्द जब्ती जहर की बोतल प्रदर्श पी. 17 व फर्द जब्ती मृतका के कपड़े प्रदर्श पी. 18 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 20 में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया व इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि वह मुलजिम को बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 07 सोमेश सिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब दो साल पहले उसकी मौसी के लड़के कालुसिंह का फोन आया और उसने बताया कि उसके कुंए पर अभियोक्त्री ने कोई दवाई पी ली है, यह बात उसने उसकी माता रेशमा को बताई, तो वह व उसकी माता फतेहसिंह के घर के पास कुंए पर जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, जहां अभियोक्त्री को उनके पड़ोसी हकीम व छोटु मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हुए मिले, तब उन्होंने उसके मौसा फतेह सिंह से पूछा कि अभियोक्त्री को क्या हुआ तो उन्होंने बोला कि अभियोक्त्री तड़पती हुई मिली। फिर वे जवाजा, ब्यावर व

अजमेर अस्पताल गये थे। घटना के 16–17 दिन बाद अभियोक्त्री की अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 21 में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया व इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि वह मुलजिम को बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 08 हेमसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब चार साल पहले भगवानसिंह और केसरसिंह ने उसकी पत्नी अभियोक्त्री को कीटनाशक दवाई पिलाई थी। उस समय वह भीलवाड़ा में काम करता था। उसके ससुर द्वारा फोन करके उसे अजमेर बुलाया, जहां उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। वह उसकी पत्नी के साथ 20 दिन तक अस्पताल में रहा था, उसके बाद अस्पताल में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान उससे कहा था कि उसे केसरसिंह व भगवानसिंह ने कीटनाशक दवाई पिलाई थी। पंचनामा लाश पुलिस ने बनाया था । फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी. 04 है। पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त केसरसिंह की अण्डरवियर को जरिये फर्द प्रदर्श पी 05 जब्त किया। केसरसिंह का मोबाईल जरिये फर्द प्रदर्श पी 06 एवं मोटरसाईकिल जरिये फर्द प्रदर्श पी 07 जब्त किया था। पुलिस ने केसरसिंह और भगवानसिंह को गिरफ्तार किया था। केसरसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 08 तैयार की, देवगढ़ कोर्ट में उसके बयान प्रदर्श पी. 22 हुए थे, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.ड. 09 विकास कुमार ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 19.08.2019 को उसके पुलिस थाना भीम में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रकरण संख्या 379/19 में मालखाना इंचार्ज माधुसिंह ने उसे मेडिकल ज्युरिष्ट जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर द्वारा लिये गये आर्टिकल मार्क ए, बी, सी व एक छोटा जार आर्टिकल मार्क डी व अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त आर्टिकल ए व बी भी उसे मय अग्रेषण पत्र के सीलचिट अवस्था में दिये थे, जिन्हें लेकर एस.पी. कार्यालय राजसमंद आया, जहां पर आर्टिकल ''बी'' का अग्रेषण पत्र आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज उदयपुर के नाम से व

अन्य का अग्रेषण पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर के नाम से तैयार करवाया। सभी आर्टिकल मय अग्रेषण पत्र वह उदयपुर लेकर गया, जहां आर्टिकल ''बी'' उसने आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज उदयपुर में जमा कराया और रसीद प्राप्त की। फिर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयुपर गया, जहां पर आर्टिकल के संबंध में एतराज हुआ तो वह आर्टिकल वापस थाने पर लेकर आया और मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किये व आर्टिकल ''बी'' की रसीद सुपुर्द की। दिनांक 22.08.2022 को एतराज पूर्ति होने पर वापस एच.एम. मालखाना से आर्टिकल लेकर मय अग्रेषण पत्र के एस.पी. कार्यालय राजसमंद आया। फिर वहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवा कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गया, जहां पर आर्टिकल जमा करा कर रसीद प्राप्त की। पुलिस थाना, भीम का एफ.एस.एल. पत्र दिनांकित 19.08.2019 प्रदर्श पी. 22 एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र दिनांकित 19.08.2019 प्रदर्श पी. 23 है। आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में आर्टिकल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 24 है। दिनांक 22.08.2019 का पुलिस थाना भीम का एफ.एस.एल. पत्र प्रदर्श पी 25 एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजसमंद का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में आर्टीकल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 27 है।

गवाह पी.ड. 10 किशनलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 11.07.2020 को उसके राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारोठ, पंचायत समिति भीम में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रकरण संख्या 379/19 में मृतका अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में दस्तावेज चाहने बाबत् तहरीर प्रदर्श पी 28 प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा दिनांक 12.08.2019 को अभियोक्त्री कुमारी पुत्री फतहसिंह के अध्ययन व जन्म दिनांक का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 29 जारी किया गया। मृतका अभियोक्त्री कुमारी का विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र प्रदर्श पी 30 है। जिस पर ए से बी स्थान पर सुश्री अभियोक्त्री कुमारी का नाम व जन्म दिनांक अंकित है, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व मोहर है। असल छात्र प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी 31 है और पत्रावली पर उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 31ए है, जिस पर ए से बी भाग

में क्रम संख्या 190 पर अभियोक्त्री कुमारी का नाम व जन्म दिनांक अंकित है। मृतका अभियोक्त्री कुमारी को पुनः विद्यालय में कक्षा 3 में भर्ती करवाया था, जिसका असल विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र प्रदर्श पी. 32 है, जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी 32ए है। छात्र प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी 33 में ए से बी स्थान पर, क्रम संख्या 245 पर पुनः भर्ती होने का अंकन व मृतका का नाम व जन्म दिनांक अंकित है, जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी 33ए है, जिसके ए से बी स्थान पर मृतका का नाम व जन्म दिनांक अंकित है। समस्त दस्तावेज के अनुसार मृतका अभियोक्त्री कुमारी की जन्म दिनांक 16.03.2000 है।

गवाह पी.ड. 11 पूरणसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब चार साल पहले मृतका अभियोक्त्रीदेवी की लाश को बाद पोस्टमॉर्टम पुलिस ने उन्हें सुपुर्द किया था, जिसकी पुलिस ने लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 04 मुर्तिब की, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.ड. 12 डुंगरसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब चार साल पहले पुलिस थाना, भीम पर पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल थाने पर मंगवा कर वजह सबूत जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 07 पर एक्स स्थान पर उसकी अगूंठा निशानी है।

गवाह पी.ड. 13 डॉ. ललित कुमार ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 15.07.2019 को उसके एम.ओ. के पद पर सीएचसी भीम में कार्यरत रहते हुए पुलिस थाना, भीम की तहरीर पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त केसर सिंह का पुरूषत्व संबंधी परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की तथा केसरसिंह की मेडिकल एक्जामिशेन रिपोर्ट तैयार की थी। पुलिस थाना भीम द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी 34 है। अभियुक्त केसर सिंह की पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी 35 है। उसकी राय के अनुसार केसर सिंह की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिसके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि अभियुक्त केसर सिंह संभोग करने में असक्षम हो। अभियुक्त का स्वास्थ्य परीक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 36 है। उसने अभियुक्त केसरसिंह की शारीरिक जांच के दौरान खून व लार के सेम्पल लिये थे और उन्हें डीएनए जांच हेतु प्रिजर्व कर सील मोहर कर पुलिस को एफएसएल जांच हेतु दिया था।

गवाह पी.ड. 14 डॉ. हेमलता मेघवाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 04.09.2019 को वह सीएचसी भीम में एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को प्रकरण संख्या 379/19 में पुलिस थाना भीम द्वारा अभियुक्त केसर सिंह का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल करने हेतु तहरीर प्रदर्श पी. 37 प्राप्त हुई थी, जिस पर उसके द्वारा अभियुक्त केसर सिंह का ब्लड सेम्पल एफटीए कार्ड पर डीएनए एनालिसिस के लिए लिया गया था। उसके द्वारा उक्त लिये गये सेम्पल के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने हेतु केमिकल एक्जामिनेशन प्रपत्र एवं डीएनए एक्जामिनेशन प्रपत्र साथ में तैयार कर उसे सीलबंद कर दिया गया जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है।

गवाह पी.ड. 15 माधूसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 12.07.2019 को उसके पुलिस थाना भीम में हैड कानिस्टेबल के पद पर तैनात होकर मालखाना इंचार्ज रहते हुए प्रकरण संख्या 379/19 के अनुसंधान अधिकारी लाभूराम ने प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल्स उसे मालखाना में जमा करने हेतु सुपुर्द करने पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 37 की क्रम संख्या 259 पर इंद्राज किया गया। आर्टिकल्स को एफएसएल में जमा कराने हेतु भेजा था जो जमा कराकर रसीद लाया था जिसका अंकन प्रदर्श पी 37 के जी से एच स्थान पर है। मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति प्रदर्श पी 37ए है। गवाह के कथनानुसार जिस हालत में अनुसंधान अधिकारी ने उसे आर्टीकल्स दिये थे उसी हालत में उसने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने हेतु सुनील कुमार कानिस्टेबल को दिये थे।

गवाह पी.ड. 16 डॉ. आर.के. बोयल ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसने दिनांक 10.07.2019 को जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत रहते हुए मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. अजय शर्मा गायनोलोजिस्ट, डॉ. हंसा चौधरी पैथोलोजिस्ट तथा डॉ. रघुनाथ फिजिशियन के साथ मृतका श्रीमती अभियोक्त्री की लाश का पोस्टमॉर्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 38 तैयार की, जिसके अनुसार मृतका के पूरे शरीर पर रायगर मोर्टिस उपस्थित थी। पेट में म्यूकस हेम्ब्रेन कंजस्टेड पाई गई थी और उसमें 10 सीसी ग्रीनिस येलो लिक्विड पाया गया। मृतका के नाखून व होठ नीले पड़े

हुए थे। पानी जैसा तरल पदार्थ मुंह व नाक से आ रहा था। मेम्ब्रेन व क्रेन कंजस्टेड था। लेरिंग्स व ट्रेकिया में पानी जैसा तरल पदार्थ पाया गया। दोनों फेंफड़े ईडीमेटस व कन्जस्टेड थे, जिसका डिसेक्सन करने पर ब्लड स्टेन म्यूकस पाया गया। उसके हार्ट के राईट चेम्बर में ब्लड पाया गया था तथा लेफ्‌ट चेम्बर खाली था। छोटी व बड़ी आंत में गैसेज व फीकल मेटल पाया गया। लीवर, स्प्लीन व दोनों किडनी कन्जस्टेड पाई । मेडिकल बोर्ड की राय में मृतका की मृत्यु का कारण केमिकल एनालिसिस व हिस्टोपैथोलोजिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट आने के उपरांत ही देना अंकित किया गया और साथ ही दो वैजाईनल स्लाईड और स्मीयर और एफटीए कार्ड यौन हिंसा को रूल आउट करने के लिए एफएसएल भेजा गया था। उसकी राय में दिनांक 22.06.2019 से दिनांक 10.07.2019 तक की अवधि में शरीर में से जहर की मात्रा की मौजूदगी होने की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 के जी से एच भाग पर दो वैजाईनल स्लाईड व दो वैजाईल स्वॉव और ड्राई ब्लड ऑन गोज और मृतका का एफटीए कार्ड का नमूना सेम्पल लिये जाने का उल्लेख है जो गायनोक्लोजिस्ट श्री अजय शर्मा द्वारा ली गई थी। मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश प्रदर्श पी 39 है।

गवाह पी.ड. 17 डॉ. राजेश जैन ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके जेएलएन अस्पताल अजमेर में मेडिसिन विभाग में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 22.06.2019 से दिनांक 09.07.2019 तक उसकी यूनिट में मरीज अभियोक्त्री भर्ती रही थी, जिसकी दौराने इलाज दिनांक 09.07.2019 को मृत्यु हो गई थी, जिसको उनकी यूनिट द्वारा पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस थाना भीम की तहरीर प्रदर्श पी. 40 पर मृतका अभियोक्त्री के इलाज के संबंध में बीएचटी की सत्यापित नकल जारी की गई थी जो प्रदर्श पी 41 है जो कुल 55 पृष्ठ हैं जिसमें भर्ती, जांच संबंधी व ईलाज संबंधी विवरण है। प्रदर्श पी 41 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मरीज को ब्यावर से रेफर किया गया केस था जो कि अननोन पोईजनिंग केस था जिसका उनकी यूनिट द्वारा पोईजनिंग संबंधी ईलाज किया गया था।

गवाह पी.ड. 18 डॉ. हंसा चौधरी ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 10.07.2019 को उसने जेएलएन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अजमेर में वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर कार्यरत रहते हुए मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के साथ मृतका श्रीमती अभियोक्त्री का पोस्टमॉर्टम किया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 है। पोस्टमॉर्टम के दौरान मृतका अभियोक्त्री का कम्पलीट हार्ट, पार्ट ऑफ लीवर, पार्ट ऑफ स्प्लीन व पार्ट्स आफ बोथ किडनीज, पार्ट्स ऑफ बोथ लंग्स, यूट्रस सर्विक्स विथ बाईलेटरल एडनेक्जा, हिस्टोपैथोलोजिकल परीक्षण के लिए लेकर सीलचिट कर पुलिस को संभलाये थे जिसकी रिपोर्ट के अनुसार मृतका के कोई बीमारी नहीं थी। मृतका के पीस ऑफ लंग्स में हल्का कन्जेशन पाया गया था। उसके लीवर, स्प्लीन एण्ड गाल ब्लेडर में कोई पैथोलोजी नहीं पाई गई थी। मृतका के पीस ऑफ किडनी में हल्का कन्जेशन था। मृतका के हार्ट में कोई पैथोलोजी नहीं पाई गई थी। मृतका की सर्विक्स, माईल्ड स्क्वेमस हाईपर प्लेजिया थी। बच्चेदानी की जो लाईनिंग थी वो स्वस्थ थी तथा प्रोलीफेडिव फेज में थी। एडनेक्जा में कोई बीमारी नहीं थी। उसने मृतका का इलाज नहीं किया था।

गवाह पी.ड. 19 डॉ. अजय शर्मा ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 10.07.2019 को जेएलएन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अजमेर में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहते हुए डीवाईएसपी भीम जिला राजसमंद की तहरीर पर मेडिकल सुपरीडेन्टेन्ड जेएलएन अस्पताल अजमेर द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था। उक्त मेडिकल बोर्ड का उसे सदस्य नियुक्त किया गया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका श्रीमती अभियोक्त्री का पोस्टमॉर्टम दिनांक 10.07.2019 को समय 01:30 पी.एम. पर किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 है। उसने पोस्टमार्टम के दौरान मृतका की बच्चेदानी, दोनों अण्डाशय तथा दोनों फेलोपियन ट्यूब का निरीक्षण किया, जो लगभग सामान्य पाये गये थे। बच्चेदानी को कट करके देखने के पश्चात उसमें किसी तरह की प्रेगनेन्सी या कोई अन्य बीमारी जैसा लक्षण नहीं पाया गया था। इनको सुरक्षित रखते हुए हिस्टोपैथोलोजी सेम्पल के लिए प्रदान किया गया था। उसने मृतका का ईलाज नहीं किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

प्रदर्श पी 38 के जी से एच भाग पर दो वेजाईनल स्लाईड व दो वेजाईनल स्वॉव और ड्राई ब्लड ऑन गोज और मृतका का एफटीए कार्ड का नमूना सेम्पल लिये जाने का उल्लेख है जो उसके द्वारा ली गई थी।

गवाह पी.ड. 20 लाभूराम ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 10.07.2019 को पुलिस थाना, भीम में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि अभियोक्त्री देवी द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना की रपट रोजनामचा आम में दर्ज की, जिसकी रवानगी रपट की प्रति प्रदर्श पी 42 है। उक्त सूचना पर वह जेएलएन अस्पताल पहुंचा, जहां प्रार्थी कालूसिंह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 43 है। उसने मृतका अभियोक्त्रीदेवी की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 मुर्तिब कर बाद पोस्टमार्टम लाश जरिए फर्द प्रदर्श पी 04 उसके परिजनों को सुपुर्द की। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 है। उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा—मौका प्रदर्श पी 02 बनाया था। घटनास्थल से किंगफिशर कम्पनी की सुपर स्ट्रोंग प्रिमीयम बीयर की बोतल (केन) जरिये फर्द प्रदर्श पी 16 जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क ''ए'' अंकित किया । घटनास्थल से पांच फीट की दूरी पर से एक प्लास्टिक की जहर की बोतल जरिये फर्द प्रदर्श पी 17 जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क ''बी'' अंकित किया। मृतका अभियोक्त्री देवी के पिता फतेहसिंह ने मृतका द्वारा वक्त घटना पहने कपड़े एक ओढनी, एक लेगी, एक ब्रा पेश किये थे जो जरिये फर्द प्रदर्श पी 18 जब्त कर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट मार्क ''सी'' अंकित किया। उसके द्वारा गवाहान के बयान न्यायालय में कराने हेतु धारा 164 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना—पत्र पेश कर गवाहान के बयान कराये थे। उसने अभियुक्त केसरसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 08 गिरफ्तार किया। अभियुक्त केसर सिंह ने वक्त घटना पहनी हुई अण्डरवीयर पेश की, जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 05 जब्त की । अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक नोकिया कम्पनी का मोबाईल मिला था, जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 06

जब्त किया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 36 एसजी 8612 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 07 वजह सबूत जब्त किया। जैर हिरासत अभियुक्त केसरसिंह द्वारा स्वेच्छया सूचना प्रदर्श पी. 44 इस आशय की दी गई कि ''आज से करीब 6 माह पूर्व अभियोक्त्री अपने पति हेमसिंह के साथ उसके पास गुजरात में कुंआ खोदने के लिए आई थी, जिस समय उसके व अभियोक्त्री के मध्य शारीरिक संबंध बन गये थे और वे पति–पत्नी के तरह रहते थे, कुछ समय बाद में वह एवं अभियोक्त्री दोनों अपने गांव आ गये थे। उसके बाद अभियोक्त्री उस पर शादी करने का दबाब बनाने लगी, जिस पर उसने उसे रास्ते से हटाने का विचार बना लिया था। दिनांक 22.06.2019 को सुबह के समय वह अपने घर से मोटरसाईकिल लेकर अभियोक्त्री के गांव आया तथा अपने घर से जहर की बोतल लेकर आया तथा रास्ते से एक बीयर की केन लेकर आया। समय करीब 10:30 बजे दिन में उसने अभियोक्त्री देवी को इसी मुद्दे पर बात करने के बहाने उसी के कुंए पर बुलाया और वहां पर उसने अभियोक्त्री को पास में स्थित कुंए पर पानी लाने के लिए भेजा और पीछे से बीयर की केन में जहर मिला दिया तथा उस जहर मिली केन को अभियोक्त्री को पिला दिया।'' उसी दिनांक को अभियुक्त ने एक अन्य सूचना प्रदर्श पी 45 दी कि ''जिस शराब के ठेके से बीयर की केन खरीदी थी, उस शराब के ठेके को साथ चलकर बता सकता है।'' अभियुक्त की उक्त सूचना अनुसार फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी. 13 एवं शराब के ठेके वाले स्थान की तस्दीक कर फर्द तस्दीक शराब का ठेका प्रदर्श पी. 14 मुर्तिब की थी।

उक्त गवाह का आगे यह भी कथन रहा है कि जब्तशुदा आर्टिकल वास्ते एफएसएल जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाने हेतु थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 22 व एसपी कार्यालय राजसमंद का अग्रेषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी 23 है। एफएसएल में माल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 24 है। इस प्रकरण में उसके द्वारा जब्त आर्टिकल को एफएसएल में भिजवाने हेतु थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 25 है। एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 है। एफएसएल में माल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 27 है। उसके द्वारा प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. सारोड़ को मृतका अभियोक्त्री के दस्तावेज चाहने

हेतु तहरीर प्रदर्श पी. 28 दी गई थी, जिस पर विद्यालय द्वारा अभियोक्त्री के अध्ययन व जन्म का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 29 जारी किया गया। अभियोक्त्री का विद्यालय प्रवेश फार्म प्रदर्श पी 30 है। छात्र प्रवेश रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 31ए है। विद्यार्थी प्रवेश आवेदन की प्रति प्रदर्श पी 32ए है। उसके द्वारा एम.ओ. सीएचसी भीम को अभियुक्त के पुरूषत्व संबंधी परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 34 है। अभियुक्त की सेक्सुअल रिपोर्ट प्रदर्श पी 35 व मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 26 है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 37ए है। एम.ओ. सीएचसी भीम को अभियुक्त केसर सिंह के ब्लड का सेम्पल एफटीए कार्ड पर लेने हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 37 है। मृतका अभियोक्त्री का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के संबंध में चिकित्सालय अजमेर द्वारा जारी आदेश प्रदर्श पी 39 है। प्रकरण में मृतका के इलाज के संबंध में एसआई ज्ञानचंद द्वारा अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल को दी गई तहरीर प्रदर्श पी 14 है। अस्पताल द्वारा मृतका अभियोक्त्री के इलाज संबंध में रजिस्ट्रेशन संख्या 27349 के संबंध में कुल किता 29 पत्र सहित दस्तावेज देने का पत्र प्रदर्श पी 46 है। दस्तावेज प्रदर्श पी 41 है। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 47 है। अनुसंधान के दौरान घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल की आर.सी. की फोटोप्रति लेकर शामिल पत्रावली की। प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल्स को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर भिजवाने हेतु पुलिस थाना भीम का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 48 है। एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 49 है। एफएसएल जयपुर में माल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 50 है। अस्पताल अजमेर से पुनः थाने पर आने की रोजनामचा रपट की प्रति प्रदर्श पी 51 है। उसने अनुसंधान के दौरान एयरटेल कम्पनी के मोबाईल नम्बर 9950519283 एवं 7357117780 की कॉल डिटेल, केफ डिटेल व धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। मालखाना में आर्टिकल्स जमा कराये उस मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 52 है। उसने धारा 164 सीआरपीसी के तहत् बयान कराने की लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

राजसमंद को तहरीर प्रदर्श पी. 53 दी थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जो शामिल पत्रावली हैं।

गवाह का आगे यह भी कथन रहा है कि आर्टिकल 01 अभियुक्त केसरसिंह के कब्जे से जब्तशुदा नोकिया कम्पनी का मोबाईल, आर्टिकल 02 लेगी, अण्डरवियर व दुपट्टा, आर्टिकल 03 अभियुक्त द्वारा वक्त घटना पहनी हुई अण्डरवियर, आर्टिकल 04 एम.ओ. द्वारा ब्लड सेम्पल व स्लाईवा के लिये गये नमूने, आर्टिकल 05 मृतका अभियोक्त्री का वेजाईनल स्वॉव सेम्पल की ट्यूब, आर्टिकल 06 मृतका अभियोक्त्री के वेजाईनल स्मीयर के सेम्पल, आर्टिकल 07 मृतका अभियोक्त्री का गोज पट्टी पर लिया गया ब्लड सेम्पल, आर्टिकल 08 मेडिकल ज्युरिष्ट द्वारा एफटीए कार्ड पर लिया गया ब्लड सेम्पल, आर्टिकल 09 एम.ओ. द्वारा अभियुक्त केसरसिंह का एफटीए कार्ड पर लिया गया ब्लड सेम्पल है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर की दिनांक 16. 09.2019 की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 54 है। पैथोलॉजी आरएनटी मेडीकल कॉलेज उदयपुर की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 55 एवं एफएसएल जयपुर की रिपोर्ट दिनांकित 06.02.2023 प्रदर्श पी. 56 है। एफएसएल जयपुर की रिपोर्ट दिनांकित 29.09.2022 प्रदर्श पी. 57 है। कुलिया अनुसंधान से उसने अभियुक्त केसरसिंह के विरूद्ध अपराध धारा 302, 384, 376 भा.दं.सं. का प्रमाणित मानकर चार्जशीट कता कर माननीय न्यायालय में पेश की।

गवाह पी.ड. 21 प्रभात कुमार ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 01.08.2019 को नोडल अधिकारी के पद पर भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, जयपुर में कार्यरत रहते हुए पुलिस अधीक्षक राजसमंद के पत्र कमांक 2226 दिनांकित 29.07.2019 द्वारा मोबाइल नं. 9950519283 एवं 7357117780 की कॉल डिटेल्स दिनांक 10.06.2019 से 12.07.2019 तक का एवं उक्त दोनों नम्बरों का कैफ फॉर्म तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 65बी का सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, जिसकी पालना में उसके उस समय के साथी सुनील तिवारी द्वारा दिनांक 01.08.2019 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 65बी का सर्टिफिकेट दिया गया था, जो प्रदर्श पी. 58 है। मोबाईल नं 7357117780 का कैफ फॉर्म प्रदर्श पी. 59 है। उक्त सिम कालूसिंह के नाम से

जारी मोबाइल नं. 9950519283 का कैफ फॉर्म प्रदर्श पी. 60 है। उक्त सिम केसरसिंह के नाम से जारी है। उक्त दोनों मोबाइल नम्बरों की कॉल डिटेल्स प्रदर्श पी. 61 है, जो कुल 45 पृष्ठ है।

26. **विद्वान लोक अभियोजक की ओर से बहस** के दौरान तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता को कई दिनों तक उसके साथ बलात्संग किये जाने एवं उक्त अपराध से बचने के लिए उसे जहर पिलाकर उसकी हत्या कारित किया जाना साबित है। मृतका के पति पी.डब्ल्यू. 8 हेमसिंह ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है कि उसकी पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान उससे कहा कि उसे केसरसिंह व भगवानसिंह ने कीटनाशक दवाई पिलाई थी। यह गवाह पक्षद्रोही भी नहीं रहा है तथा स्वयं मृतका का पति होकर सबसे अहम गवाह, जिसने अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद करते हुए मृतका द्वारा मृत्यु से पूर्व अभियुक्त के संबंध में किये गये कथनों को प्रकट किया है, साथ ही जिरह में भी यह गवाह विरोधाभासी कथन नहीं करता है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या कारित करने में उपयोग में बीयर व जहर की बोतलों के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 5 छोटुलाल व पी.डब्ल्यू. 6 हकीम मोहम्मद ने उनके समक्ष घटनास्थल से बीयर की बोतल व जहर की बोतल बरामद होने की साक्ष्य देते हुए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 16 व प्रदर्श पी 17 को साबित किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 3 फतेहसिंह यद्यपि पक्षद्रोही रहा है, परन्तु इसने अपनी पुत्री यानि मृतका के धारा 164 द.प्र.सं. संहिता के बयानों पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है, जिसमें पीड़िता/मृतका द्वारा अभियुक्त पर उसके साथ बलात्संग एवं जहर पिलाने के कथन किये हैं। साथ ही गवाह फतेहसिंह ने घटनास्थल प्रदर्श पी 13 व प्रदर्श पी 14 को भी साबित किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 1 कालूसिंह ने उसके माता–पिता द्वारा अभियुक्त केसरसिंह का मृतका के साथ मजदूरी का काम करने की साक्ष्य दी है। चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 16 डॉ. आर.के. बोयल ने मृतका की मृत्यु जहर के सेवन से होने का तथ्य प्रमाणित करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 38

की पुष्टि की है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी लाभूराम ने पी.डब्ल्यू. 20 के रूप में प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से बीयर की बोतल व जहर की बोतल बरामद करते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने एवं पीड़िता द्वारा शादी का दबाव डालने पर अभियुक्त केसरसिंह द्वारा उसकी हत्या करने का तथ्य प्रमाणित पाये जाने की साक्ष्य दी है तथा अभियुक्त द्वारा दी गई फर्द सूचना प्रदर्श पी 44 को भी साबित किया है। लिहाजा अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है।

27. अभियुक्त की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा मृतका का बलात्कार व उसकी हत्या किये जाने बाबत् लेशमात्र भी कथन नहीं किये हैं, बल्कि स्वयं मृतका के माता–पिता सहित उसका भाई व अन्य परिजन साक्ष्य के दौरान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा मृतका द्वारा अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन्हें अभियुक्त केसरसिंह के संबंध में कुछ भी नहीं बताये जाने का कथन किया है। घटनास्थल पर पहुंचने वाले अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 7 सोमेशसिंह ने मौके पर मृतका को तड़पती हुई देखने का कथन ही किया है, साथ ही अस्पताल में भर्ती होने व मृत्यु होने तक मृतका बेहोश रहने तथा कुछ नहीं बोलने की साक्ष्य दी है। फर्द बरामदगी बीयर की बोतल व जहर की बोतल के दोनों गवाह छोटु मोहम्मद व हकीम मोहम्मद पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा फर्द प्रदर्श पी 16 व प्रदर्श पी 17 पर अपने हस्ताक्षर खाली कागजों पर करने का कथन करते हैं। यद्यपि मृतका के पति हेमसिंह ने दौराने इलाज मृतका द्वारा उसे अभियुक्त केसरसिंह द्वारा कीटनाशक पिलाया जाना बताया है, परन्तु जिरह में गवाह ने मृतका द्वारा मुंह से कुछ नहीं बताना कहा है, साथ ही न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में गवाह ने मृतका द्वारा चद्दर पर केसरसिंह व भगवानसिंह का नाम लिखना बताया है। ऐसी स्थिति में मृतका ने चद्दर पर केसरसिंह व भगवानसिंह का नाम क्यों लिखा, इसका कारण उजागर नहीं हो पाया है, साथ ही ऐसी तथाकथित चद्दर की भी इस प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है, जिससे कि मृतका द्वारा

अभियुक्त का नाम लिखकर बताये जाने का तथ्य साबित होता हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि मृतका द्वारा तथाकथित चद्दर पर भगवानसिंह का नाम भी लिखा गया, जबकि भगवानसिंह इस प्रकरण में अभियुक्त ही नहीं है। ऐसी स्थिति में गवाह हेमसिंह की साक्ष्य में विरोधाभास होने से इसकी साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा तथाकथित घटना की रिपोर्ट भी करीब 20 दिन की देरी से मृतका की मृत्यु के पश्चात् दर्ज करवाई गई है, जिसका भी कोई कारण नहीं बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

28. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण का प्रारम्भ परिवादी कालूसिंह द्वारा दिनांक 10.07.2019 को पेश की गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से हुआ। इस रिपोर्ट में परिवादी ने कथन किया कि उसकी बहिन अभियोक्त्री व जीजाजी हेमसिंह गुजरात में कुंए खोदने का काम कर अपना जीवनयापन करते हैं। इसी काम में भगवानसिंह 06 माह पूर्व उसकी बहिन व जीजाजी को अपने साथ गुजरात लेकर गया और वहां पर उसके जीजाजी को कुंए में उतारकर 02 माह तक भगवानसिंह ने उसकी बहिन का यौन शोषण किया। इसके बाद भगवानसिंह ने अपने बहनोई अभियुक्त केसरसिंह के पास उसकी बहिन को छोड़ दिया, जिसने उसकी बहिन के साथ करीब 04 माह तक यौन शोषण किया। उसके छोटे भाई मुकेश की शादी में भी उसकी बहिन को उन्होंने घर पर बुलाया। दिनांक 22.06.2019 को दोपहर करीब 11:00 बजे उसकी बहिन को फोन करके ब्लेकमेल कर कुंए पर बुलाया और जहर पिला दिया। इसके बाद केसरसिंह ने इसके पिता को फोन किया कि अभियोक्त्री कुंए के पास पड़ी है, उसको देख लेना, इस पर उसके पिता वहां गये तो उसकी बहिन अभियोक्त्री वहां बेहोश पड़ी हो उसके मुंह से झाग आ रहे थे, तब उसके पिता अभियोक्त्री को जवाजा अस्पताल ले गये। वहां से ब्यावर व उसके बाद अजमेर लेकर गये,

जहां अभियोक्त्री की इलाज के दौरान दिनांक 09.07.2019 को जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में मौत हो गई।

अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित किये जाने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में स्वयं कालूसिंह परिवादी को परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य बयानों में यह कथन किया है कि करीब 02 साल पहले वह जोधपुर में क्रेन चलाने का कार्य करता था। उसके पास करीब 11:00 बजे उसके पिताजी का फोन आया कि उसकी बहन अभियोक्त्री कुंए पर गई थी जो घर पर नहीं आई है। उसकी मम्मी ने कुएं पर जाकर देखा तो उसकी बहन अभियोक्त्री कुंए के पास बेहोश पड़ी हुई थी। बहन के पास कुछ पड़ा हो तो उसे पता नहीं है। उसकी बहन अभियोक्त्री को जवाजा अस्पताल लेकर गये, फिर वहां से ब्यावर और उसके बाद जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में भर्ती करवाया गया, जहां पर अभियोक्त्री करीब 18 दिन तक बेहोशी की हालत में भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। गवाह के कथनानुसार उसके मम्मी–पापा ने उसे बताया कि केसरसिंह के साथ उसके जीजाजी और उसकी बहन कुंआ खोदने का काम करते थे। इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा लोक अभियोजक द्वारा जिरह किये जाने पर इस गवाह ने दौराने अनुसंधान दिये गये कथन प्रदर्श पी 9, जिसमें यह अंकित है कि पीड़िता व उसका पति दोनों गुजरात में कुंए खोदने की मजदूरी करते थे, फतेहसिंह के लड़के मुकेशसिंह की कुछ दिन पहले शादी थी तब फतेहसिंह पीड़िता को गुजरात से लेकर आया था, पीड़िता के परिवार वालों से सुनने में आया है कि गुजरात में पीड़िता के साथ केसरसिंह निवासी पालूणा ने गलनत संबंध बनाये थे तथा इसी के चलते पीड़िता को कुंए पर बुलाकर बीयर की बोतल में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे पीड़िता की मौत हो गई, उक्त कथन लिखाये जाने से गवाह ने इन्कार किया है। जब इस गवाह से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट उसकी हस्तलिखित नहीं है और मौके पर किसने लिखी, उसे

ध्यान नहीं है। इस गवाह ने जिरह में यह भी कहा कि यह कहना सही है कि पीड़िता के अस्पताल में रहने के दौरान या उससे पहले उसकी पीड़िता से कोई बात नहीं हुई। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि वह केसरसिंह को नहीं जानता और न ही केसरसिंह कभी उनके घर पर आया। जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि यह कहना सही है कि पीड़िता और उसके पति हेमसिंह को उसका जेठ भगवानसिंह गुजरात मजदूरी करवाने के लिए लेकर गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पुष्पा गुजरात में अपने पति के साथ राजीखुशी रहती थी।

अभियोजन पक्ष ने गवाह पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में लाडी देवी, जो कि मृतका की माता तथा पी.डब्ल्यू. 3 फतेहसिंह मृतका का पिता है, इन दोनों ही गवाहान को जब न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तो इन दोनों गवाहान ने अपने बयानों में घटना की उस रूप में ताईद नहीं की है जिस रूप में परिवादी ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अंकित किया। दोनों ही गवाहान के बयानों से यह साबित होता है कि मृतका कथित घटना के तत्काल पश्चात् से मृत्यु तक अस्पताल में रही और बेहोश रही। दोनों गवाहान को पक्षद्रोही घोषित किया गया तो इन दोनों ही गवाहान ने प्रदर्श पी 11 व प्रदर्श पी 15 में किये गये अपने कथनों को गलत बताया तथा यह भी कहा कि मौके पर भी उनके द्वारा कुछ नहीं देखा गया तथा न ही शराब की बोतल देखी और न ही कोई दवाई की बोतल देखी और गवाहान ने अपने बयान पुलिस के कथनानुसार देना बताया।

हस्तगत प्रकरण में घटनास्थल पर शराब अथवा बीयर की कोई बोतल तथा जहर से संबंधित कोई चीज मिली हो। इस संबंध में महत्वपूर्ण गवाह पी. डब्ल्यू. 5 छोटू मोहम्मद तथा पी.डब्ल्यू. 6 हकीम मोहम्मद हैं, इन दोनों ही गवाहान ने अपने बयानों में यह कहा है कि प्रदर्श पी 16 फर्द जब्ती बीयर की बोतल तथा प्रदर्श पी 17 फर्द जब्ती पहर की बोतल पर उनके हस्ताक्षर हैं, परन्तु जब इन गवाहान से जिरह की गई तो छोटू मोहम्मद ने जिरह में कहा है कि उसने व उसके भाई ने मृतका या कुंए के आसपास में कोई बीयर की

बोतल या जहर की डिब्बी नहीं देखी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि पीड़िता घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई थी, जो ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराने तक एवं इलाज के दौरान बेहोश होकर कुछ भी बोली नहीं थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर खेत पर करवाये थे और थाने में भी करवाये थे, किस फर्द पर थाने पर व किस फर्द पर मौके पर हस्ताक्षर करवाये, यह उसको ध्यान नहीं है। उक्त सारी फर्दों पर किस बात की लिखापढ़ी की इसकी उसे जानकारी नहीं है। गवाह हकीम मोहम्मद ने भी अपनी जिरह में घटनास्थल पर किसी प्रकार की बीयर की बोतल या जहर की डिब्बी देखने से इन्कार किया। गवाह हकीम मोहम्मद ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि पुष्पा घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई थी, जो ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराने तक एवं इलाज के दौरान बेहोश होकर कुछ भी बोली नहीं थी। गवाह ने पुलिस वालों द्वारा उसके हस्ताक्षर खेत पर खाली कागजों पर करवाये जाने का कथन किया। इस प्रकार इन दोनों ही गवाहान के बयानों एवं की गयी जिरह से यही निष्कर्ष निकलता है कि शराब की बोतल एवं जहर की बोतल इन गवहान के समक्ष बरामद नहीं की गयी।

अभियोजन पक्ष का एक महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 8 हेमसिंह है, जो मृतका का पति है। इस गवाह ने अपने बयानों में यह कहा है कि करीब चार साल पहले भगवानसिंह और केसरसिंह ने उसकी पत्नी अभियोक्त्री को कीटनाशक दवाई पिलाई थी। उस समय वह भीलवाड़ा में काम करता था। उसके ससुर द्वारा फोन करके उसे अजमेर बुलाया, जहां उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। वह उसकी पत्नी के साथ 20 दिन तक अस्पताल में रहा था, उसके बाद अस्पताल में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान उससे कहा था कि उसे केसरसिंह व भगवानसिंह ने कीटनाशक दवाई पिलाई थी। इस गवाह के बयान यह बताते हैं कि मृतका ने इस गवाह को अस्पताल में बताया था कि केसरसिंह व भगवानसिंह ने उसे कीटनाशक दवाई पिलाई थी। इस गवाह से जब जिरह की गयी तो इस गवाह ने अपनी जिरह में कहा कि पीड़िता के अस्पताल में

भर्ती होने के दूसरे दिन उसके पिता ने उसे फोन कर दिया था। गवाह ने स्वीकार किया कि वह जब अस्पताल पहुंचा तब पीड़िता आई.सी.यू. में भर्ती थी और बेहोश थी। यह बात सही है कि उसके ससुर ने उससे पूछा था कि उसने पीड़िता को दवाई पिलाई क्या, तो उसने कहा कि उसने नहीं पिलाई। गवाह ने स्वमेव कथन किया कि पीड़िता को जब होश आया तब उसने बेडशीट पर केसरसिंह और भगवानसिंह का नाम लिखा था। इस गवाह से जब न्यायालय द्वारा यह प्रश्न किया गया कि मृतका ने उसे कुछ बोलकर बताया था, तब इस गवाह ने कहा कि मृतका के मुंह व नाक पर नलकी (नली) डली हुई थी इसलिये वह कुछ नहीं बोल पायी, चद्दर पर लिखकर ही बताया था। मृतका ने चद्दर पर केसरसिंह व भगवानसिंह लिखा था। इस प्रकार इस गवाह के बयान यह बताते हैं कि यह घटना का चश्मदीद गवाह तो नहीं है, लेकिन मृतका ने उसे चद्दर पर नाम लिखकर बताया। एक बार तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाये कि मृतका ने अपने हाथ से चद्दर पर केसरसिंह व भगवानसिंह नाम लिखा, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि मृतका यह नाम लिखकर क्या कहना चाहती थी। इस गवाह के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये किसी भी गवाह ने, जिसमें मृतका का इलाज करने वाले चिकित्सक व मृतका के निकट परिजन, में से किसी ने भी यह कथन नहीं किया कि मृतका को अस्पताल में एक क्षण के लिए भी होश आया हो। यदि इस प्रकार की बात होती तो परिवादी, जो कि मृतका का भाई है, अपनी रिपार्ट प्रदर्श पी 1 में भी इस तथ्य का अंकन अवश्य करता। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये किसी भी गवाह के कथनों से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका के साथ कभी बलात्कार जैसी कोई घटना की गई हो अथवा अभियुक्त ने मृतका को जहर पिलाया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.06.2019 से पूर्व किसी समय भागनिया गांव, जिला राजकोट (गुजरात) में व अन्य स्थानों पर अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना बलात्संग

किया हो तथा उसे बीयर में जहर मिलाकर पिलाने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। लिहाजा अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त केसरसिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 376, 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से सन्देह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

29. परिणामतः अभियुक्त केसरसिंह पुत्र श्री कुपसिंह रावत, निवासी पालुणा, पुलिस थाना जवाजा, जिला ब्यावर (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 376, 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत माल कपड़े, बोतलें आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट की जावें। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत मोबाइल आईईएमआई नंबर 355838095880716 व 3558380971880693 मय सिम नंबर 9950519283 अभियुक्त केसरसिंह को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो उसी के पास रहे एवं सुपुर्दगीनामा–जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.36 एस.जी. 8612 उसके पंजीकृत स्वामी कूपसिंह को सुपुर्दगी पर दी हुई है, जो उसी के पास रहे एवं सुपुर्दगीनामा–जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

30. निर्णय आज दिनांक **28.03.2026** को लिखाया जाकर, विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

ALOK KUMAR SHARMA
Digitally signed by ALOK KUMAR SHARMA
Date: 2026.04.07 15:21:27 +05'30'